39

अनुकम्पा नियुक्ति

सेवानिवृत होने के पूर्व सेवा में रहते कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उस सरकारी सेवक के परिवार के किसी पात्र आश्रित सदस्य को परिवार का जीवन यापन चलाने के लिये अनुकम्पा नियुक्ति देने की एक कल्याणकारी योजना शासन ने लागू की है। इस योजना की खास बात यह है कि नौकरी के साथ-साथ परिवार पेंशन भी चालू रहती है। विधवा को यदि नौकरी दी गई है तो इसका यह आशय नहीं है कि वह अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारने के लिये पुनर्विवाह नहीं कर सकती है। अर्थात् विधवा चाहे तो पुनर्विवाह कर सकती है। इससे उसकी नौकरी पर कोई आंच नहीं आयेगी। केवल इसके फलस्वरूप उसकी परिवार पेंशन बन्द हो जाएगी। अनुकम्पा नियुक्ति एक सुविधा है। परिवार का कोई भी सदस्य अधिकार के रूप में इसका दावा नहीं कर सकता है। यह उसी स्थिति में दी जाती है जब परिवार में कोई कमाने वाला न हो। अनुकम्पा नियुक्ति किसे व कैसे प्राप्त होगी प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

(1) अनुकम्पा नियुक्ति किन्हें प्राप्त होगी

अनुकम्पा नियुक्ति दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के निम्नलिखित सदस्यों में से किसी एक को दी जाएगी, जो पूर्णतः उस पर आश्रित रहा हो:-

(क) दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा/[1][विधुर], अथवा

(ख) पुत्र, अथवा

(ग) अविवाहित पुत्री

(दत्तक पुत्र/पुत्रियाँ शामिल रहेंगे)

'क' के अस्वीकार करने या योग्य न होने पर ही 'ख' को एवं उसके पश्चात 'ग' को अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

टीप -

(अ) दिवंगत शासकीय सेवक से तात्पर्य ऐसे कर्मचारियों से है, जो नियमित शासकीय सेवक के किसी पद को धारण करते हुए दिवंगत हुआ हो, अथवा

[2][(ब) आकस्मिक सेवा/कार्यभारित स्थापना का नियमित रूप से कार्यरत कर्मचारी रहा हो।]

[दैनिक वेतन भोगी/संविदा पर नियुक्त/तदर्थ रूप से नियुक्त या पुनर्नियुक्ति/सेवावृद्धि प्राप्त दिवंगत कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी।]

(2) नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी -

अनुकम्पा नियुक्ति के लिए वही अधिकारी सक्षम होगा, जो सामान्य परिस्थिति में यथास्थिति तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी, जैसा प्रकरण हो, के पदों पर नियुक्ति के लिए सक्षम है।

(3) वे पद, जिन पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जा सकेगी -

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति केवल तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सीधी भर्ती के निम्नतम

1. शब्द "विधुर" सा.प्र.वि. क्र. एफ. 7-4/2002/1/3, दिनांक 19-12-05 द्वारा जोड़ा गया।
2. सा.प्र.वि. क्र. एफ. 7-4/2002/1/3, दिनांक 20-9-05 द्वारा संशोधित।

नियमित रिक्त पदों पर ही दी जाएगी, यथा- सहायक ग्रेड-3, शिक्षा कर्मी, वार्ड ब्वाय, वन रक्षक आदि तथा भृत्य अथवा उसके समकक्षीय चतुर्थ श्रेणी के पद। कार्यपालिक पदों पर नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। कार्यभारित एवं आकस्मिकता वेतनमान के पदों पर कार्यरत शासकीय सेवक की मृत्यु पर नियुक्ति संबंधित स्थापना में उक्तानुसार पदों पर की जा सकेगी।

(4) पात्रता -

1. मृतक शासकीय सेवक का वह परिवार, जिसके पास आय का समुचित साधन न हो और आर्थिक संकट से घिरा हो तथा उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता हो।
2. दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के आश्रित सदस्यों को अनुकम्पा नियुक्ति उसी स्थिति में दी जाएगी, जबकि वह–

   नियुक्ति के लिए विभागीय भरती नियम के अनुसार आवश्यक अर्हताएँ धारित करता हो अथवा कंडिका (5) के अनुसार छूट/शिथिलीकरण की पात्रता रखता हो।

(5) छूट/शिथिलीकरण -

अनुकम्पा नियुक्ति के लिए निम्नलिखित छूट प्रभावशील रहेगी :-

1. रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरती की नियमित पद्धति से छूट।
2. भरती पर प्रतिबन्ध से छूट।

टीप - उम्मीदवार की आयु सीमा की गणना उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के दिनांक पर की जाएगी।

3. दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा को अनुकम्पा नियुक्ति देने के लिए शैक्षणिक योग्यता में विभागाध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकेगी। यह छूट केवल चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए होगी।
4. दिवंगत शासकीय सेवक के पत्नी के अलावा अन्य सदस्य को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 01 वर्ष का समय दिया जाएगा, जिसे नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा और 01 वर्ष की सीमा तक बढ़ाया जा सकेगा अर्थात मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु अधिकतम सीमा 02 वर्ष हो सकेगी। उम्मीदवार यदि 01 वर्ष की समय-सीमा में अथवा समय-सीमा में 01 वर्ष की अतिरिक्त वृद्धि किये जाने पर 02 वर्ष की समय-सीमा में हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता, तो उसकी सेवाएँ समाप्त कर दी जाएंगी। ऐसे प्रकरणों में उम्मीदवार से नियोक्ता अधिकारी द्वारा वचन-पत्र (परिशिष्ट-दो) प्राप्त कर अभिलेख में रखा जाएगा। ऐसे कर्मचारी जब तक हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते, वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त करेंगे तथा परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि से एक वर्ष पश्चात् ही प्रथम नियमित वेतनवृद्धि के पात्र होंगे।
5. शासकीय सेवक की विधवा को यदि सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाती है, तो उसे हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने की छूट रहेगी। साथ ही अविभाजित मध्यप्रदेश के अनुकंपा नियुक्ति के निर्देशों के अन्तर्गत नियुक्त विधवा को भी मुद्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अर्हता से छूट होगी।
6. जिन विभागों की सेवा भरती नियम में सहायक ग्रेड-3 के पदों के लिए कम्प्युटर ज्ञान/परीक्षा/डिप्लोमा संबंधी अर्हता रखी गई है, उनमें कम्प्युटर ज्ञान/परीक्षा/डिप्लोमा संबंधी अर्हता प्राप्त करने के लिए मृतक शासकीय सेवक की विधवा/आश्रित को नियुक्ति

के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि दी जाए। साथ ही उम्र 50 वर्ष पूर्ण करने वाली विधवाओं को इस अर्हता से पूर्णतः छूट दी जाए।

(6) रिक्त पदों की गणना -

1. किसी भी मामले में अनुकम्पा नियुक्ति केवल नियमित रिक्त पदों के विरुद्ध ही दी जाएगी।
2. अनुकम्पा नियुक्तियाँ संबंधित संवर्ग में सीधी भरती के कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होने की शर्त को शिथिल करते हुए पांच प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर दस प्रतिशत रखा जाये। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पश्चात् की नियुक्तियों को ही गणना में लिया जाए।
3. अनुकम्पा नियुक्ति के लिए निर्धारित पांच प्रतिशत नियमित पदों के विरुद्ध अनुकम्पा नियुक्ति के ऐसे उम्मीदवारों की नियुक्ति, यथा-आकस्मिकता निधि/दैनिक भोगी/तदर्थ रूप से एवं संविदा पर नहीं की जाएगी, तथापि ऐसे अनुकम्पा के उम्मीदवारों को जो भरती नियम के अनुसार अर्हताएँ पूर्ण करते हैं, नियमित रूप से ही नियुक्ति दी जाएगी।
4. कुल पांच प्रतिशत पदों की गणना करते समय अन्य आरक्षित पदों को, यथा-स्पोर्ट्स कोटे आदि की रिक्तियों को, गणना में नहीं लिया जाएगा।
5. अनुकम्पा नियुक्ति यथासम्भव उसी विभाग या कार्यालय में दी जावेगी, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपने निधन के पूर्व नियोजित था।
6. यदि उस कार्यालय में, जिसमें कि दिवंगत शासकीय सेवक मृत्यु के पूर्व नियोजित था, अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा। विभागाध्यक्ष पहले अपने अधीनस्थ किसी भी कार्यालय में रिक्त पद पर नियुक्ति देने का प्रयास करेगा। पद रिक्त न होने के कारण यदि नियुक्ति देना सम्भव न हो तो विभागाध्यक्ष द्वारा तद्विषयक प्रमाण-पत्र देकर आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को अग्रेषित किया जावेगा।
7. जिला कलेक्टर, इस प्रकार प्राप्त प्रकरणों को उनके जिले के अन्य विभागों/कार्यालय में रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अग्रेषित करेंगे। यदि उनके जिले में किसी कार्यालयों में भी कोई रिक्त पद उपलब्ध न हो तो जिला कलेक्टर ऐसे प्रकरणों को संबंधित प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग को आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित करेंगे।

(7) अनुकम्पा नियुक्ति पर नियुक्त विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट -

दिवंगत शासकीय सेवक की विधवा को अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् पुनर्विवाह की छूट रहेगी।

(8) जहां परिवार में एक कमाने वाला विद्यमान हो -

मृतक शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई सदस्य कमाने वाला मौजूद है, उस स्थिति में परिवार के दूसरे सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(9) अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया -

1. अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र संलग्न परिशिष्ट-'एक' में दर्शाए प्रपत्र में उस कार्यालय प्रमुख/विभाग प्रमुख, जिसमें दिवंगत शासकीय सेवक अपनी मृत्यु के पूर्व

कार्यरत था, को प्रस्तुत किया जावेगा। अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया आवेदन प्रस्तुत होने के तीन माह के भीतर पूर्ण की जाना अनिवार्य होगा।

2. शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर मृत शासकीय सेवक के संदर्भ में कार्यालय प्रमुख या नियुक्तिकर्ता अधिकारी एक माह के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्धारित आवेदन पत्र की प्रति आवश्यक मार्गदर्शन के साथ मृतक के परिवार को उपलब्ध कराएगा। यदि मृतक के परिवार में कोई उचित पात्रता प्राप्त सदस्य नहीं है, तो उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को प्रेषित कर प्रति संबंधित परिवार के सदस्य को उपलब्ध करायेगा।

*3. अनुकंपा नियुक्ति हेतु निर्धारित आवेदन पत्र दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के आश्रित सदस्य द्वारा शासकीय सेवक की मृत्यु दिनांक से 6 माह की समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस समय सीमा के पश्चात् प्रस्तुत आवेदन पत्र विचार योग्य नहीं होगा।

(10) वचन पत्र -

दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति देने की स्थिति में आवेदक/आवेदिका से नियुक्ति के पूर्व इस आशय का एक वचन पत्र लिया जाएगा कि वह दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का समुचित भरण-पोषण करेगा तभा बाद में किसी भी समय यदि यह प्रमाणित हो जाए कि उसके द्वारा परिवार के सदस्यों को अनदेखा किया जा रहा है, अथवा उनका सही ढंग से भरण-पोषण नहीं किया जा रहा है तो उसकी नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(11) अनुकम्पा नियुक्ति के पद अथवा नियुक्त व्यक्ति में परिवर्तन -

1. आवेदक को एक बार अनुकम्पा नियुक्ति दिए जाने के पश्चात् किसी अन्य पद पर नियुक्ति या पद परिवर्तन का निवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. अनुकम्पा नियुक्ति यदि परिवार के एक सदस्य को दे दी गई है तो यह नियुक्ति परिवार के किसी दूसरे सदस्य को हस्तांतरणीय नहीं होगी।

(12) अनुकम्पा नियुक्ति बाबत सामान्य उपबन्ध -

1. दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति उसी स्थिति में दी जाएगी, जबकि वह पद के लिए भरती नियमों में निर्धारित समस्त अर्हताएँ रखता हो।
2. चतुर्थ श्रेणी के मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्य को भरती नियम में निर्धारित शैक्षणिक अर्हता की पूर्ति करने पर तृतीय श्रेणी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता होगी।
3. अनुकम्पा नियुक्ति के सभी मामलों में नियुक्तिकर्ता अधिकारी को स्वयं इस बात की संतुष्टि करना चाहिए कि दिवंगत सरकारी कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या, उसके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति तथा देनदारी, कमाने वाले सदस्य की आय और उसकी देनदारी को देखते हुए अनुकम्पा नियुक्ति देना न्यायोचित है?
4. **[शासकीय सेवक की मृत्यु यदि 25 वर्ष की सेवा अथवा 55 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात् होती है, तो अनुकम्पा नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा।]

* क्रमांक (3) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ 7-4/2002/1-3, दिनांक 2-2-2006 द्वारा जोड़े गये।
** यह प्रावधान आदेश क्रमांक एफ 7-4/2002/1/3, दिनांक 23-7-2003 द्वारा विलोपित किया गया।

5. इन निर्देशों के अंतर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य गठन की तिथि दिनांक अर्थात् 01-11-2000 या उसके पश्चात् दिवंगत हुए शासकीय सेवकों के मामलों पर विचार किया जाएगा *[तथा दिनांक 1-11-1997 से दिनांक 31-10-2000 तक छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदस्थी के दौरान मृतक शासकीय सेवकों के आश्रितों के प्रकरणों पर अविभाजित म.प्र. में अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रचलित निर्देशों के अन्तर्गत विचार किया जाएगा।]

6. **[यदि इन नये निर्देशों के जारी होने के पश्चात् शासकीय कर्मचारी की मृत्यु होने के दिनांक से एक वर्ष तक अनुकम्पा नियुक्ति के लिए रिक्त पद उपलब्ध नहीं हुआ तो अनुकम्पा नियुक्ति की पात्रता समाप्त हो जाएगी। ऐसे मृतक शासकीय सेवकों, जिनका देहांत दिनांक 01-11-2000 के पश्चात तथा 10-6-2003 के बीच हुआ है, से संबंधित प्रकरणों के लिए तीन वर्ष की सीमा दिनांक 10-6-2003 से की जाना है।]

(13) निर्वचन संबंधी कठिनाइयों के निराकरण की शर्तें -

यदि इन निर्देशों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाईयां उद्भूत हों तो उसे राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

संलग्न : उपरोक्तानुसार, (कुल-चार)।

[सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ. 7-4/2002/1-3, दिनांक 10 जून 2003]

अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में स्वीकृत दरों के 10% तक ही अनुकंपा नियुक्ति देने के बंधन के कारण पद रिक्त नहीं रहने के कारण शिक्षाकर्मी वर्ग-III के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति देने के निर्देश जारी किए गये हैं। [सामान्य प्रशासन विभाग ज्ञा. क्र. 942/264/2005/1-3, दिनांक 8-12-05]

परिशिष्ट-एक

अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

1. (क) दिवंगत शासकीय सेवक का पूर्ण नाम .....
   (ख) पदनाम .....
   (ग) श्रेणी .....
   (घ) जन्मतिथि .....
   (ङ) कार्यालय का नाम जहां मृत्यु पूर्व दिवंगत शासकीय सेवक पदस्थ था .....
   (च) मृत्यु दिनांक .....
   (छ) मृतक द्वारा की गई कुल सेवा अवधि .....

* शब्द [. . . .] सा.प्र.वि. क्र. एफ. 7-4/2002/1/3, दिनांक 2-2-2006 द्वारा जोड़े गये।

** इस प्रावधान के संबंध में निर्णय लिया गया है कि-
"एक वर्ष से अधिक समय के प्रकरणों के लिए समितियां रहेंगी, जो छानबीन पश्चात् प्रकरणों में समय-सीमा 1 वर्ष के लिए तथा पुनः और 1 वर्ष के लिए अर्थात् आगे 2 वर्ष के लिए बढ़ा सकेंगी। इस प्रकार मृत्यु के दिनांक से अनुकम्पा नियुक्ति के लिए अधिकतम समय सीमा 3 वर्ष रहेगी।

[क्रमांक एफ. 7-4/2002/1/3, दिनांक 23-7-2003]

2. (क) आवेदक/आवेदिका का पूर्ण नाम .....
   (ख) दिवंगत शासकीय सेवक से संबंध .....
   (ग) स्थायी पता .....
   (घ) वर्तमान पता .....
   (ङ) जन्म तिथि - अंकों में .....
   शब्दों में .....
   (च) आयु .....
   (छ) धर्म .....
   (ज) जाति (यदि अनुसूचित जाति/ जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के हों, तो स्पष्ट रूप से दर्शायें) .....
   (झ) शैक्षणिक अर्हताओं का विवरण .....
   (ञ) मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ स्थित विद्यालय/महाविद्यालय से उत्तीर्ण परीक्षाओं का विवरण .....
   अन्य अर्हताओं का विवरण .....

3. (1) परिवार पेंशन की राशि .....
   (2) उपदान .....
   (3) जीवन बीमा से प्राप्त राशि .....
   (4) अवकाश व नगदीकरण की राशि .....
   (5) अन्य आय .....
   (6) दिवंगत शासकीय सेवक द्वारा छोड़ी गई तथा उसके आश्रित परिवार या परिवार के सदस्यों द्वारा धारित संपत्तियों का विवरण

	अचल संपत्ति	चल संपत्ति
1.	कृषि भूमि	हाथठेला .....
2.	मकान	स्कूटर .....
3.	दुकान	टैक्सी .....
4.	फैक्ट्री	बस .....
5.	अन्य	अन्य .....

   (7) चल/अचल संपत्तियों सहित सभी स्त्रोतों से परिवार की वार्षिक आय का विवरण (दिवंगत शासकीय सेवक की मृत्यु के कारण परिवार को प्राप्त होने वाले उपदानों/पेंशन आदि को छोड़कर) .....
   (8) देनदारियों की जानकारी .....